भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

12.05.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2084

तमिलनाडु से थोरियम से समृद्ध रेत का अवैध

2084. **श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार ने तमिलनाडु से श्री लंका के जरिए चीन और यूरोप को किए जा रहे थोरियम से समृद्ध रेत के निर्यात संबंधी हाल ही में आई मीडिया रिपोर्टों को देखा है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ख) **इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है; और**

(ग) **रेत की अवैध तस्करी के बारे में सतर्कता जांच के क्या परिणाम हैं और इस संबंध में एक निजी समूह और इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरई) प्रबंधन के एक हिस्से के बीच हुई सांठ-गांठ का ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) **जी, हाँ । हाल ही में, मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई थीं कि निजी कंपनियों को कई मिलियन टन मोनाजाइट के निर्यात की अनुमति दी गई है और भारत ने लाखों करोड़ रूपए कीमत के थोरियम की बड़ी मात्रा खो दी है । रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि देश के तटीय क्षेत्रों में पुलिन बालू खनिजों में उपलब्ध थोरियम संसाधन को अनियंत्रित तरीके से विदेशों में बड़ी मात्रा में निर्यात करने दिया जा रहा है,जिससे देश भविष्य में, इन संसाधनों से वंचित रह जाएगा। मीडिया की रिपोर्टें बड़ी संख्या में अटकलें, आधारहीन कल्पनाएं एवं कुछ एकदम गलत भ्रंतियॉं हैं ।भारतीय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में गार्नेटसिल्लिमेनाइट एवं ,रूटाइल ,मोनाज़ाइट ,कोज़ीनल्यू ,नाईटइल्मे , तौर पर पुलिन सामान्यजिन्हें ,पूर्ण खनिज मौजूद हैंजिरकॉन जैसे वाणिज्यिक रूप से महत्व बालू खनिज कहा जाता है । इनमें से,मोनाज़ाइट को परमाणु ऊर्जा अधिनियम ,**

1962(प(अधिनियम.ऊ., यथा संशोधित ,2006) भारत के राजपत्र)57 ,जनवरी 20 में दिनांक (2006 को अधिससूचित में ('विहित सामग्री' के रूप में परिभाषित किया गया है । परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के तटीय (एएमडी) षण एवं अनुसंधान निदेशालयके परमाणु खनिज अन्वे (डीएई) ता का आंकलन करने के लिए गहन क्षेत्रों में मोनाज़ाइट सहित पुलिन बालू खनिजों की उपलब्ध सर्वेक्षण किया है । मोनाज़ाइट का निर्यात करने के लिए ,परमाणु ऊर्जा अधिनियम ,1962 के तहत प्रख्यापित परमाणु ऊर्जा (नखनिजों का कार्यकरण एवं विहित सामग्री का प्रहस्त ,खान) ,नियमावली1984 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है । इस प्रावधान का उल्लंघन, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक संज्ञेय उपराध हैजिसमें कुछ समय के , लिए कारावास की सज़ा हो सकती हैजो पॉच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थ दंड या दोनों , दिया जा सकता है। पऊवि ने, किसी भी निजी कंपनी को मोनाज़ाइट के उत्पादन या थोरियम के निष्कर्षण के लिए इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिएया मोनाज़ाइट या थोरियम के निर्यात के , का (मोनाज़ाइट को छोड़कर) लिए कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया है । पुलिन बालू खनिजों निर्यात, मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत आता है और इसके लिए पऊवि से प्राधिकार प्राप्त करने की आवययकता नहीं होती है ।

चूंकिसाथ मौजूद होते -साथ (जिसमें थोरियम होता है) पुलिन बालू खनिज एवं मोनाज़ाइटअन्य , विकिरण) न करने वाली कंपनियों को परमाणु ऊर्जापुलिन बालू खनिज का प्रहस्त :अत ,हैं (सुरक्षा, नियमावली से लाइसेंस प्राप्त (एईआरबी) के तहत परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद 2004 करना होता है । लाइसेंस जारी करने की शर्तों के अनुसारपुलिन बालू ,लाइसेंसधारी को , ,त बची सामग्रीरण के पश्चाखनिजों के पृथक्क जिसमें मोनाज़ाइट होता हैका निपटान , मोनाज़ाइट की मात्रा के आधार पर, अपने कंपनी परिसर में या बैक फिल के रूपमें करना होता है। इन संस्थानों का कड़ाई से नियामक नियंत्रण किया जाता है । वे एईआरबी को तिमाही रिपोर्टें भेजते हैंपरिसर मेंया बैकफिल के रूप में सुरक्षित तरीके से निपटान की गई ,जिसमें , लाइसेंसिंग की शर्तों का अनुपालन ,ख होता है । एईआरबी के निरीक्षकटेलिंग की मात्रा का उल्ले होना सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं। एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर मोनाज़ाइट का निर्यात परमाणु ऊर्जा ,नियमावली (विकिरण सुरक्षा)2004 का उल्लंघन है ।

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जो पऊवि के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हैसाथ निर्यात -जिसे घरेलू उपयोग के साथ , हैएक मात्र संस्था , रण करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है ।दन एवं प्रसंस्ककरने के लिए मोनाज़ाइट का उत्पा

थोरियम के अलावामोनाज़ाइट में विरल मृदा भी , होती है । इसकी रेडियोसक्रियता एवं अन्य विशेषताओं के कारण , मोनाज़ाइट से विरल मृदा का निष्कर्षण वाणिज्यिक रूप से तब तक

लाभप्रद नहीं हैर्षण के बादजब तक कि थोरियम के निष्क , उपोत्पाद के रूप में उसमें मिश्रित विरल मृदा को अलग न कर लिया जाए । आरंभिक कोर के लिए एक बारगी साठ टन से कम की आवश्यकता के साथ ,300 मेगावाट क्षमता के भारतीय प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए थोरियम कता लगभग पॉच टन होगी ।इड की वार्षिक आवश्यऑक्सा-

विभिन्न देशों के राष्ट्रीय नाभिकीय कार्यक्रमों के संबंध में आईएईए दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी इस बात को इंगित नहीं करती हैवर्तमान में , कोई देशकि भारत के अलावा अन्य , रोंपित किए जाने वाले रिएक्ट में स्थारों या भविष्यप्रचालनरत रिएक्ट में थोरियम के विशिष्ट उपयोग की योजना बना रहा है । अत:, विदेशों से भारी मात्रा में थोरियम की मांग आने की संभावना नहीं है । मीडिया रिपोर्टों में, देश से बाहर बड़ी मात्रा में थोरियम का कथित अवैध निर्यात, करने का जो आरोप लगाया गया है वह, उपरोक्त के मद्दे नजर, तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

(ख) उपरोक्त नहींर के मद्देनजर प्रश्नके उत्त (क) उठता ।

एवं

(ग)

*****